have also been asked to undertake similar exercise and to undertake simplifications at the implementation level.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि

*132. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके सेवा-काल में वृद्धि किये जाने के संबंध में सरकार के विशिष्ट अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सेवा-काल को किन शर्तों पर बढ़ाया जाता है ;

(ग) इसके लिये निश्चित की गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या बढ़े हुए सेवा-काल वाले कर्मचारी नियमित कर्मचारियो की तरह अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) :(क) से (ग) सेवा-काल में वृद्धि/पुर्ननियोजन के संबंध में सरकार द्वारा वर्ष 1983 में जारी किए गए अनुदेशों में इस शर्त का प्रावधान किया गया है कि सेवा-काल में वृद्धि/पुर्ननियोजन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । बहरहाल, बहुत कम एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में अधिवर्षिता के बाद सेवा काल में वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया जाता है तथा उन सभी मामलों में निर्णय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से किया जाता है जिनमें सेवा-काल में वृद्धि/पुर्ननियोजन की स्थिति में किसी कर्मचारी का वेतन 2500 रुपये प्रतिमास या उससे अधिक निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

(घ) किसी पद पर कार्य करने वाला कोई अधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि उसकी नियुक्ति सेवा काल में वृद्धि की मंजूरी अथवा उसके पुर्ननियोजन के आधार पर की गई है, उस पद के समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ।

Seminar on "The role of media in National Integration'

*133. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a seminar on 'The role of Media in National Integration' was organised recently at New Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some suggestions for making the media play an objective and constructive role in the fast changing dynamics of the society, etc. were expressed in the seminar;

(d) if so, what are the other suggestions made on the occasion;

(e) whether Government propose to take any steps to implement these suggestions; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (f) Centre for Development Initiative a volunOtary organisation, recently organised a Seminar on the 'role of media in National Integration' with the intention to have a broad-specrtum approach on the subject of National Integration. The participants expressed their views and made some suggestions, for example—

(i) "liberating the media from the pressures of the proprietory for the benefit of the Nation."

(ii) "Proper care and thoughtfulness is to be shown by the Electronic Media especially by the Doordarshan while disseminating news bulletins".

(iii) "Either the Press Council may be empowered to take decisions on prosecuting the wrong found media according to the existing rules or a new body may be constituted with equal participation of all the sectors of the media that can take legal procedures against any newspaper committing offences" and

(iv) "There is an immediate need for an integrational effort in terms of Regional issues".

The suggestions have been taken note of by the Government.

Part time job schemes

*134. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating short term part-time job schemes to tackle the unemployment problem;

(b) if so, whether any concrete formula in this regard has been worked out by the Planning Commission; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

सवाई माधोपुर में सीमेंट फक्टरी का चालू किया जाना

*135. **डा० अबरार अहमद :** क्या प्रधान मंत्री 2 जनवरी, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 592 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी आरम्भ करने का कोई निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस फैक्टरी पर श्रमिकों का बकाया वेतन कितना है और उनके भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या सरकार इस फैक्टरी को वास्तव में किसी को सौंपने से पूर्व वेतन की बकाया राशि का भुगतान करेगी ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबन्ध मंडल के एक प्रतिनिधि ने श्रमिकों के साथ समझौता करने के लिए सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का दौरा किया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उस अधिकारी को सरकार द्वारा उचित ढंग से अधिकृत किया गया था, यदि नहीं तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट कारखाने को पुन: स्थापित/पुन: चालू करने से संबंधित प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों को बकाया वेतन का भुगतान करने का मामला भी शामिल है, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में विचाराधीन है, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है । दिसंबर, 1987 तक लगभग 418 लाख रु. वेतन/मजदूरी बकाया थी ।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पार्टी के एक प्रतिनिधि, जिसने कंपनी का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट की थी, ने कर्मचारियों से बातचीत की थी । इस बातचीत में केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी ने भाग नहीं लिया ।